

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला-जयपुर ग्रामीण)

अर्जुन वती बनाम आर्ची वती

मुकदमा नम्बर :- 67/2022

वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03/4/25	व.क्र. उप.। प्रतिवादी सं. 14 ता 25 के जवाब वास्ते पत्रावली जवाब दिने जाने के बादपुई जवाब पेश नही करने पर जवाब का अन्वय बन्द किया जाता है पत्रावली वास्ते तर्कित हेतु आदेश दिनांक 09/4/25 के पेश है।	
	01/4/25	वकिलों द्वारा आज केन्द्रालैस/कार्य स्थिति रखे जाने से पत्रावली गत अज्ञानुसार दिनांक 01/4/25 को पेश हो	
	24/4/25	व.क्र. उप.। पत्रावली वास्ते तर्कित हेतु आदेश दिनांक 12/4/25 के पेश है।	
	12/4/25	व.क्र. उप.। प्रतिवादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि नैरे कार पेश जवाब जवाब लक्ष्मण का है इसलिए तर्कित कार्य न कर साडी के अन्वय-अनुसार वाद को अन्तिम किया कर दिया गे मुझे कोई आपत्ति नही है अन्वय पत्र अधिवक्ता ने सुन ग्या पत्रावली वास्ते अन्तिम अर्थवधि हेतु आदेश दिनांक 14/4/25 के पेश है।	
	14/4/25	पत्रावली पेश है। न्यायालय का काम समाप्त होने तक वकील माडी के पत्र वाद समाप्त दिलायी गयी। लेकिन उन्हे और से और अस्वीकृत नही होने से पत्रावली अन्तिम अर्थवधि अन्तिम पेशी के आदेश के अन्वय है पत्रावली उन्हे अन्तिम है मग है तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के आदेश से राहुल यादव वकील उप. हुका/ पत्रावली शामिल उपर सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	<p align="right">Reply made 14/5/25 25/1/10</p>